समक्ष राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

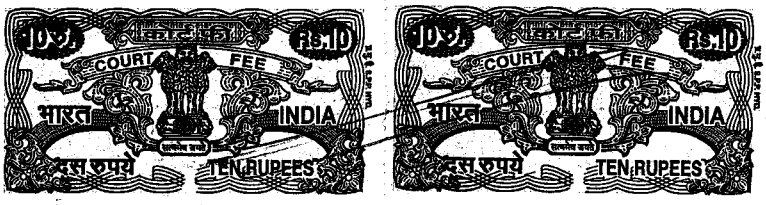

Rs-201

218
25.6.15

1— इन्द्रबहादुर सिंह तनय स्व. रामाश्रय सिंह

निगरानी 2401-II-15

2— धर्मेन्द्र सिंह तनय स्व. रामाश्रय सिंह

3— श्रीमती सितविया बेवा पत्नी स्व. रामाश्रय सिंह

सभी निवासी ग्राम टिकरी थाना सोहागी तह. त्योंथर जिला रीवा म.प्र.

....................आवेदकगण

बनाम्

1— रामभुवन सिंह तनय लल्लू सिंह निवासी ग्राम टिकरी थाना सोहागी तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

....................अनावेदक

श्री केशव प्रसाद पटेल ने द्वारा आज दिनांक 25.6.15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक.................................. रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक...................को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध सीमाकंन पुष्टीकरण आदेश राजस्व निरीक्षक (प्रदत्त अधिकार तहसीलदार) सर्किल चाक तहसील त्योंथर दिनांक 07.05.2015 जरिए सीमांकन प्रकरण क. 32 अ 12/2014–15 बाबत् भूमि खसरा क. 277/1 एवं 275 स्थित ग्राम सोहागी ज.नं. 555 तह. त्योंथर जिला रीवा, निगरानी याचिका अंतर्गत आदेश 50 म.प्र.भू. रा.सं. वर्ष 1959

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित हैं –

1— यह कि अदालत मातहत अधिकारी राजस्व निरीक्षक मंडल चाक (प्रदत्त अधिकारी तहसीलदार) द्वारा पारित सीमांकन पुष्टीकरण आदेश दिनांक 07.05.2015 खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

2— यह कि अदालत मातहत ने इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क. 277/1 रकबा 0.214 हे. स्थित ग्राम सोहागी ज.नं. 555 बाबत् सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो आवेदन पत्र अपूर्ण तथा धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. वर्ष 1959 के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार नहीं था। आवेदन पत्र में सरहद्दी काश्तकारों तथा चारों दिशाओं में स्थित भूमियों के बाबत् कोई विवरण न होने से आवेदन

.......2

इन्द्र बहादुर सिंह / रामकुंवर वादि
R. 2401-दो 115-टीका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
4.9.15	1- प्रकरण राजस्व मण्डल, मुख्यालय ग्वालियर से पंजीयत होकर प्राप्त 2- आवेदक को कायमी पर सुनवाई हेतु सूचित किया जावें 3- वास्ते कायमी पर तक। पेशी दिनांक 3.11.15 आ० ज्ञा० से० रीडर	
22/109		
30/9/2015	प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर लिया गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल चाक. तहसील ओरछा, जिला टीका के मामला क्र. 32/अ-12/14-15 आदेश दिनांक 07-05-15 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दायर की गई है। निगरानी ज्ञापन में मुख्यतः यह आरोप है कि सरहद्दी काश्तकारों को बिना सूचना दिये विधि के प्रतिकूल सीमांकन किया गया है। 2. निगरानी ज्ञापन के साथ पेश किये गये सूचना पत्र एवं स्थल पंचनामा की प्रमाणित प्रति में निगराकार के कहीं हस्ताक्षर नहीं पाये गये, एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्हें सूचना भी नहीं दी गई। प्रश्नाधीन आदेश दिनांक	

XXXIX(a)-BR(H)-11

(110)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2401-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	- 07-05-2015 में भूमि ख०नं० 277/1 रकबा 0.214 हे० के अंश ~~रकबा~~ पर निगराकार "इन्द्रबहादुर का अनाधिकृत कब्जा पाया गया" लिखा गया है, जिस पर निगराकार को आपत्ति है।	
	3. उपरोक्त स्थिति में सरहदी काश्तकारों को बगैर सूचना दिये किया गया सीमांकन म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 129 के प्रतिकूल होने से प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.05.15 निरस्त करते हुए राजस्व निरीक्षक को पुनः निगराकार एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देने के उपरान्त सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।	
	4. प्रकरण पंजी से खारिज किया जाए एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए। तत्पश्चात प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाए।	
	सदस्य	

[कृ. प. उ.